**रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड**

(भारत सरकार का उद्यम)

कोर-4, स्कोप कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

सीआर्इएन: एल40101डीएल1969जीओआई005095

कंपनी सचिव प्रभाग

सं. एसईसी-1/8(1)2017/2634(क) दिनांक : 1 सितंबर, 2017

ऋण नीति संबंधी परिपत्र - सं. 003/2017

**विषय : आरईसी की उधार देन की दरों में संशोधन :**

आवधिक ऋण / अल्पावधि ऋणों की उधार देने की दरों की समीक्षा संबंधी रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशकों की उप-समिति ने 31 अगस्त, 2017 को आयोजित अपनी 124वीं बैठक मे नीचे दिए गए अनुसार उधार देने की दरों में संशोधन को अनुमोदित कर दिया है:

* सभी श्रेणी के उधारकर्ताओं के लिए ऋण की पारंपरिक उत्पादन श्रेणी के 25 बीपीएस द्वारा ब्याज दर में कटौती
* राज्य क्षेत्र के उधारकर्ताओं, जिनमें *(‘सी’ श्रेणी के राज्य क्षेत्र का उधारकर्ता शामिल हीं है, क्योंकि वह एमटीएल के लिए पात्र नहीं है)* के लिए अल्पावधि ऋण (एसटीएल) और मध्यावधि ऋण (एमटीएल) के लिए 50 बीपीएस द्वारा ब्याज दर में कटौती।

**संशोधित ब्याज दरें, 1 सितंबर, 2017 से 31 अक्तूबर, 2017 तक या अगली अधिसूचना जारी किए जाने तक, इनमें से जो भी बाद में हो, संलग्न अनुलग्नक -क में दिए गए अनुसार लागू होंगी।**

स्वीकृति पत्र जारी करने वाले कार्पोरेट कार्यालय के वरिष्ठ मुख्य कार्मिक प्रबंधकों/मुख्य कार्मिक प्रबंधकों और अन्य अधिकारियों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि लागू ब्याज दरें और अन्य शर्तें सभी संबंधित अधिकारियों को विधिवत सूचित की जाती हैं और इसका उल्लेख स्वीकृति पत्र में सही रूप में किया जाता है।

ह./-

जे.एस. अमिताभ

महा प्रबंधक एवं कंपनी सचिव

संलग्नक : अनुलग्नक-क

 वितरण :

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / निदेशक (तकनीकी) और निदेशक वित्त का कार्यालय
2. सभी कार्यकारी निदेशक / महाप्रबंधक, कार्पोरेट कार्यालय, आरईसी
3. सभी अपर महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक, कार्पोरेट कार्यालय, आरईसी
4. क्षेत्रीय कार्यालयों / परियोजना कार्यालयों के सभी वरिष्ठ मुख्य कार्मिक प्रबंधक/ मुख्य कार्मिक प्रबंधक, अपर निदेशक, सायर और प्रभारी राज्य कार्यालय, आरईसी
5. अपर महा प्रबंधक (सूचना प्रोद्योगिकी) को आरईसी की वेबसाइट और इंट्रानेट में डालने की व्यवस्था करने के लिए
6. उप महा प्रबंधक (राजभाषा) आरईसी

 **अनुलग्नक “क”**

एलपीसी सं. 003/2017 दिनांक 1 सितंबर, 2017

**रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड**

1 सितंबर, 2017 से 31 अक्तूबर, 2017 तक या अगली अधिसूचना जारी किए जाने तक, इसमें से जो भी बाद में हो, प्रभावी उधार देने की दरें

|  |
| --- |
| I – आवधिक ऋण- (प्रत्येक 3 वर्ष में पुनः तय किए जाने के (दरें प्रतिशत में)  |
| क्रम सं. | ऋणों/ योजनाओं की श्रेणी | राज्य क्षेत्र के उधारकर्ता श्रेणी (“क+”) और अभिनिर्धारित सीपीएसयू और एएए क्रमांकित कंपनियां | राज्य क्षेत्र के उधारकर्ता श्रेणी (“क+” और “ख”) केंद्रीय क्षेत्र के उधारकर्ता, (जिनमेंअभिनिर्धारित सीपीएसयू और एएए क्रमांकित कंपनियां शामिल नहीं हैं) | प्राइवेट सेक्टर |
| आईआर-1 की एकीकृत रेंटिंग सहित | 1. आईआर-2 की एकीकृत रेंटिंग सहित
2. एंटिटी ग्रेड :

I और II | (क) आई आर-3 की एकीकृत रेंटिंग सहित(ख) एंटिटी ग्रेड :III और IV(ग) डिस्कॉमग्रेड-क | आई आर-4 की एकीकृत रेंटिंग सहित | (क) आई आर-5 की एकीकृत रेंटिंग सहित(ख) एंटिटी ग्रेड :V (ग) डिस्कॉमग्रेड-ख(घ) गैर- ग्रेडेड |
| क. | आवधिक ऋण / योजनाएं |
| 1. | पारंपरिक उत्पादन | 11.5 | 11.40 | 11.65 | 12.15 | 12.40 | 12.65 | 12.90 |
| 2. | उत्पादन परियोजनाओं की आर एवं एम और आर एवं यू | 11.5 | 11.40 | 11.65 | 12.15 | 12.40 | 12.65 | 12.90 |
| 3. | गैर पारंपरिक उत्पादन(क) बायोमास से भिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं(नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के अंदर) | 9.75 | 10.00 | 9.75 | 10.00 | 10.25 | 10.50 | 11.00 |
|  | (ख)बायोमास परियोजनाएं | 10.75 | 11.00 | 11.00 | 11.25 | 11.50 | 11.75 | 12.00 |
| 4. | पारेषण योजनाएं | 10.75 | 11.00 | 11.75 | 12.00 | 12.25 | 12.50 | 12.75 |
| 5. | वितरण और अन्य योजनाएं | 10.50 | 10.75 | 11.25 | 11.50 | 11.75 | 12.00 | 12.25 |
| 6. | विनियामक परिसंपत्तियों के अनुसार वित्तपोषण | 11.40 | 11.65 | 11.90 | 12.15 | 12.40 | 12.65 | 12.90 |
| 7. | कंप्यूटरीकरण | 11.65 | 11.90 | - | - | - | - | - |
| ख. | **उपस्कर विनिर्माताओं को ऋण** |
| 1. | 1 वर्ष तक | 12.00 | 12.25 | 12.50 | 12.75 | 13.00 | 13.25 | 13.50 |
| 2. | 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक | 11.65 | 11.90 | 12.15 | 12.40 | 12.65 | 12.90 | 13.15 |

|  |
| --- |
| II. अल्पावधि ऋण (एसटीएल)/ मध्यावधि ऋण (एमटीएल) (दरें प्रतिशत में) |
| . | उधारकर्ता की श्रेणी | एसटीएल | एमटीएल |
| मासिक आधार सहित 3 माह से अधिक और 6 माह तक एसटीएल के लिए ब्याज की दरें | मासिक आधार सहित 6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक एसटीएल के लिए ब्याज की दरें | मासिक आधार सहित 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक एमटीएल के लिए ब्याज की दरें | तिमाही आधार पर 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक एमटीएल के लिए ब्याज की दरें |
| 1. | केंद्रीय क्षेत्र के उधारकर्ता/ अभिनिर्धारित सीपीएसयू/ राज्य क्षेत्र के उधारकर्ता श्रेणी ‘क’ | 10.00 | 10.25 | 11.00 | 11.10 |
| 2. | राज्य क्षेत्र के उधारकर्ता श्रेणी ‘‘क+’’ और अन्य सीपीएसयू | 10.25 | 10.50 | 11.25 | 11.36 |
| 3. | राज्य क्षेत्र के उधारकर्ता श्रेणी ‘‘ख’’ | 10.25 | 10.50 | 11.50 | 11.61 |
| 4. | राज्य क्षेत्र के उधारकर्ता श्रेणी ‘‘ग’’ | 11.00 | 11.25 | - |
| 5. | राज्य क्षेत्र के उधारकर्ता श्रेणी (‘‘क क क’’) | 11.00 | 11.25 |
| 6. | “क क क” से भिन्न निजी क्षेत्र के उधारकर्ता | 11.50 | 11.75 |

|  |
| --- |
| III. संक्रमण वित्त पोषण ऋण (प्रत्येक 3 वर्ष के बाद पुनः तय किए जाने के साथ) (दरें प्रतिशत में) |
| क्रम सं. | ब्योरे | श्रेणीक+ | श्रेणीक | श्रेणीख | श्रेणीग |
| 1. | राज्य क्षेत्र के डिस्कॉम के लिए (यदि ब्याज का भुगतान तिमाही आधार पर किया जाता है) | 11.40 | 11.65 | 11.90 | 12.15 |
| 2. | राज्य क्षेत्र के डिस्कॉम के लिए (यदि ब्याज का भुगतान मासिक आधार पर किया जाता है) | 11.29 | 11.54 | 11.78 | 12.03 |
| 3. | राज्य के विभाजन/ पुनर्गठन के कारण नये निगमित उत्पादन कंपनियों / पारेषण कंपनियों / वितरण कंपनियों के मामले में (मासिक आधार पर) | 11.90 | 12.15 | 12.40 | 12.65 |

टिप्पणियां :

1. उपर्युक्त दरें तिमाही आधार पर लागू दरें हैं, परंतु इनमें एसटीएल / संक्रमण वित्तीय ऋण / एमटीएल (यदि ब्याज का भुगतान मासिक रूप से किया जाता है) शामिल नहीं है, जहां दरें मासिक आधार पर तय की जाती हैं।
2. डिस्कॉमों को (i) अल्पावधि ऋण, (ii) मध्यावधि ऋण, (iii) अंतरण वित्तपोषण और विनियामक परिसंपत्तियों की वित्त-व्यवस्था संबंधी ऐसी योजनाओं के अधीन वित्तीय सहायता देने के लिए 25 बीपीएस की अनुमति होगी, जहां ऐसी वित्तीय सहायता की प्रतिभूति राज्य सरकार की गारंटी से दी जाती है।
3. आर - एपीडीआरपी, आईपीडीएस, डीडीयू जे वाई, आदि जैसी भारत सरकार की योजनाओं के भाग की वित्तव्यवस्था के लिए उधारकर्ताओं की सभी श्रेणियों/ग्रेडों के लिए उन पर लागू ब्याज दर से कम लागू ब्याज दर 75 बीपीएस होगा।
4. “प्रत्येक 10 वर्ष के विराम के बाद” वाले आवधिक ऋणों से 15 बीपीएस कम होगी।
5. एनटीपीसी, एनएलसी, डीवीसी, एनएचपीसी, एनपीसीआईएल, पीजीसीआईएल, एसजेवीएनएल, टीएचडीसी, राइट्स, बीएचईएल, आईएफसीआई, ईईएसएल या समय–समय पर निगम द्वारा अभिनिर्धारित केंद्र सरकारी क्षेत्रक उपक्रम (सीपीएसयू) हैं।
6. कंप्यूटरीकरण के लिए उल्लिखित उपर्युक्त दरें "एएए" वाले निजी उधारकर्ताओं पर लागू नहीं होंगी।
7. **उपर्युक्त संशोधित ब्याज दरें 1 सितंबर, 2017 तक या उसके बाद 31 अक्तूबर, 2017 तक या अगली अधिसूचना जारी किए जाने तक, इनमें से जो भी हो, किए गए सभी वितरणों पर लागू होंगी।**
8. उपर्युक्त आईआर-1 से आईआर 5 की एकीकृत रेटिंग वाले निजी क्षेत्र के उधारकर्ता, ग्रेड-I, II, III, IV और V आरईसी की आंतरिक श्रेणी प्रविधि पर आधारित हैं।
9. राज्य क्षेत्र के उधारकर्ताओं के संबंध में, “क+”, “क”, “ख”, “ग” की रेटिंग आरईसी की आंतरिक ग्रेडिंग प्रविधि पर आधारित होती हैं।
10. राज्य क्षेत्र की श्रेणी “ग” वाले उधारकर्ताओं के संबंध में लागू की जाने वाली दरें राज्य क्षेत्र की श्रेणी ‘क’ वाले उधारकर्ताओं पर लागू दरों से 0.50 प्रतिशत अधिक होगी।
11. लागू ब्याज दरों पर 25 बीपीएस का बट्टा, उस स्थिति में भावी मंजूरियों पर वितरण और पारेषण योजनाओं के लिए ऋणों के मामले में दिया जा सकता है, यदि इन योजनाओं के अधीन संवितरण विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर लक्ष्य रकम तक पहुंच जाता है। इस बट्टे को देने के लिए विचार की जाने वाली न्यूनतम संवितरण रकम डिस्कॉम और ट्रांसकॉम के मामले में 700 करोड़ रुपये है और वितरण तथा पारेषण योजनाओं के लिए संयुक्त संवितरण हेतु एकीकृत राज्य बिजली बोर्ड के लिए 1000 करोड़ रुपये है। इस प्रयोजन के लिए उधारकर्ताओं को आरईसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने होंगे, जिसमें यह वचन देना होगा कि अपेक्षित रकम का आहरण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तारीख से ढाई वर्ष की अवधि के अंदर किया जाएगा। आरईसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद स्वीकृत पारेषण और वितरण ऋण इस नीति के अधीन लाभ प्राप्त करने का पात्र होगा। इस नीति के अधीन दिया जाने वाला बट्टा लागू 700 करोड़ रुपये / 1000 करोड़ रुपये के आहरण पर या उसके बाद देय ब्याज पर ही उधारकर्ताओं को दिया जाएगा। विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान किया गया कुल संवितरण लागू दर से 25 बीपीएस के बट्टे के लिए तब तक पात्र होगा, जब तक इसकी वापसी की जाती है।
12. पारेषण और वितरण परियोजनाओं / योजनाओं के लिए विद्यमान ब्याज दर पर 25 बीपीएस की सामान्य छूट और समय– समय पर विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्धारित सुधार की शर्तों का पालन करने के लिए 25 बीपीएस की अतिरिक्त छूट केवल पूर्वोत्तर राज्यों के लिए लागू होगी। यह छूट विद्यमान ऋण नीति परिपत्र संख्या एसईसी – 1/8 (1) / 2006 / 342, दिनांक 27 नवंबर, 2006 और संख्या एसईसी 1 / 8 (1) / 2008 / 1165, दिनांक 09 जून, 2008 के अनुसार दी जाएगी।
13. यदि अभिनिर्धारित केंद्र सरकारी क्षेत्रक उपक्रमों / राज्य क्षेत्र के उधारकर्ताओं / केंद्रीय क्षेत्र के उधारकर्ताओं द्वारा स्वयं ही गठित किए जा रहे संयुक्त उद्यम के मामले में ऐसे संयुक्त उद्यम वाले एंटिटी के लिए ब्याज की लागू दर वही होगी, जो उक्त संयुक्त उद्यम में 49 प्रतिशत या उससे अधिक इक्विटी धारण करने वाली एंटिटी पर लागू होती है।
14. उत्पादन परियोजनाओं के मामले में यदि यह सरकारी क्षेत्र की एंटिटी है (जिनमें अभिनिर्धारित केंद्र सरकारी क्षेत्रक उपक्रम / क्रमांकित राज्य एंटिटी और क क क क्रमांकित कंपनियां शामिल नहीं हैं), जिन्हें वर्तमान में क्रमांकित नहीं किया गया है, उन पर वे ब्याज दरें क्रमांकित किए जाने तक लागू होंगी, जो संबंधित राज्य की उत्पादन कंपनियों पर लागू होती हैं।
15. कृपया इस ऋण नीति संबंधी परिपत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक ‘ख’ में दी गई तदनुरूपी प्रभावी वार्षिक ब्याज की दरों को भी देखें।

 अनुलग्नक-ख

**प्रभावी ब्याज दरें**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ब्याज दर |  | ब्याज दर |
| तिमाही आधार पर (प्रतिशत) | प्रभावी वार्षिक दर (प्रतिशत) |  | मासिक आधार पर (प्रतिशत) | तिमाही आधार पर ब्याज दर (प्रतिशत) | प्रभावी वार्षिकब्याज दर (प्रतिशत) |
| 10.50 | 10.92 |  | 10.50 | 10.59 | 11.02 |
| 10.75 | 11.19 |  | 10.75 | 10.85 | 11.30 |
| 11.00 | 11.46 |  | 11.00 | 11.10 | 11.57 |
| 11.15 | 11.62 |  | 11.15 | 11.25 | 11.74 |
| 11.25 | 11.73 |  | 11.25 | 11.36 | 11.85 |
| 11.40 | 11.90  |  | 11.40 | 11.51 | 12.01 |
| 11.50 | 12.01 |  | 11.50 | 11.61 | 12.13 |
| 11.65 | 12.17 |  | 11.65 | 11.76 | 12.29 |
| 11.75 | 12.28 |  | 11.75 | 11.87 | 12.40 |
| 11.90 | 12.44 |  | 11.90 | 12.02 | 12.57 |
| 12.00 | 12.55 |  | 12.00 | 12.12 | 12.68 |
| 12.15 | 12.71 |  | 12.15 | 12.27 | 12.85 |
| 12.25 | 12.82 |  | 12.25 | 12.38 | 12.96 |
| 12.40 | 12.99 |  | 12.40 | 12.53 | 13.13 |
| 12.50 | 13.10 |  | 12.50 | 12.63 | 13.24 |
| 12.65 | 13.26 |  | 12.65 | 12.78 | 13.41 |
| 12.75 | 13.37  |  | 12.75 | 12.89 | 13.52 |
| 12.90 | 13.54 |  | 12.90 | 13.04 | 13.69 |
| 13.00 | 13.65 |  | 13.00 | 13.14 | 13.80 |
| 13.15 | 13.81 |  | 13.15 | 13.29 | 13.97 |
| 13.25 | 13.92 |  | 13.25 | 13.40 | 14.09 |
| 13.40 | 14.09 |  | 13.40 | 13.55 | 14.25 |
| 13.50 | 14.20 |  | 13.50 | 13.65 | 14.37 |
| 13.65 | 14.36 |  | 13.65 | 13.81 | 14.54 |
| 13.75 | 14.48 |  | 13.75 | 13.91 | 14.65 |
| 13.90 | 14.64 |  | 13.90 | 14.06 | 14.82 |